नियमों का उल्लंघन क्रूज हादसे के बाद प्रदेश मे चलने वाली नावों को लेकर गाइडलाइन जारी की थी

महीने भर में ही तार-तार नियम, लौटे पुराने ढर्रे पर

नवभारत, जबलपुर। विगत माह हुए बरगी डैम क्रूज़ हादसे ने पूरे देश को झगझोर के रख दिया था। इस हादसे में दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पूरे प्रदेश मे चलने वाली नावों को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन के अनुसार अब सभी घाटों पर हर यात्रियों के साथ साथ नाविकों के लिए भी लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन हकीकत से परे आज भी ग्वारीघाट बिना लाइफ जैकेट पहने नाविक नाव चला रहे है और यात्रियों के साथ साथ खुद की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं।

सुरक्षा भगवान भरोसे...

प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का खुले आम उल्लंघन किया जा रहा है। अब ग्वारीघाट में सबसे बड़ा सवाल नाविकों के साथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर खड़ा हो रहा है। ग्वारीघाट में कई नावों में यात्री बिना लाइफ जैकेट पहने दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ ही नाव संचालक भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही नाव चला रहे हैं। ऐसे में हादसे की स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा उसी व्यक्ति को होगा जो नाव को नियंत्रित कर रहा है। मालूम हो कि बरगी क्रूज हादसे के बाद जिलेभर में बोटिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। करीब 20 दिनों तक बंद रहने के बाद फिर दोबारा बोटिंग शुरू करवाई गई है। वही प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर नए नियम लागू किए थे। जिनका पालन कराने के दावे भी किए जा रहे थे लेकिन हकीकत इससे परे नजर आ रही है।

जिम्मेदारों पर उठ रहे सवाल

लोगों का कहना है कि यदि यात्रियों की सुरक्षा जरूरी है तो नाविकों की जान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में नाव संचालकों के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य क्यों नहीं की गई? सुरक्षा के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं निभाने से हादसों का खतरा खत्म नहीं होगा। दूसरा सवाल यह भी है कि अगर नियम सबके लिए एक ही है तो इसका पालन कड़ाई से क्यों नहीं किया जा रहा है। बरगी हादसे के बाद प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित बोटिंग का भरोसा दिलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन ग्वारीघाट का मौजूदा दृश्य सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलता नजर आ रहा है। जब तक नियम सभी पर समान रूप से लागू नहीं होंगे, तब तक किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

क्या था नियम?

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्वारीघाट में अब हर नाव में सीमित संख्या में ही यात्रियों को बैठाने की अनुमति दी जा रही है। वही बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। शुरू शुरू में घाट पर कई जगह यात्री इन नियमों का पालन करते नजर भी आ रहे थे लेकिन धीरे-धीरे यह नियम सिर्फ दिखावा बनकर रह गए है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने हादसे के बाद नियम तो बना दिए, लेकिन उनका पालन आधा-अधूरा ही नजर आ रहा है। घाट पर मौजूद अमला यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाने तक सीमित दिखाई देता है, जबकि नाव चला रहे लोगों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है।

इनका कहना है

लाइफ जैकेट हम सभी के लिए जरूरी है। लेकिन कई बार यात्री खुद इसे पहनने से इनकार कर देते है

बबलू बर्मन

यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। हम लोगों पूरी कोशिश करते है कि किसी की जान पर कभी न बने। लेकिन कई बार लापरवाही यात्री खुद करते है।

प्रेम कुमार

यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस भी बोट पर लाइव जैकेट नहीं मिलेगी उसे बोट को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा।

रामप्रकाश अहिरवार
कमिश्नर, नगर निगम जबलपुर

रद्दी कागज के गोदाम में भड़की आग

फायर अमले को खबर तक नहीं...

नवभारत, जबलपुर। अंधेरदेव निवासी मोहम्मद परवेज मंसूरी की खजरी बाईपास गुर्दा कुदवारी अमखेरा जबलपुर में स्थित रद्दी कागज के गोदाम में बीती देर रात करीब 3 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई जिससे वहां रखा करीब 50 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। पीड़ित मोहम्मद परवेज ने नवभारत को बताया कि रविवार दोपहर करीब 12 बजे वो अपनी फर्म गए तब उन्हें पता चला कि रद्दी गोदाम में आग भड़क उठी है। आग लगने की वजह अभी पता नहीं चली है। बताया जा रहा है कि गोदाम पिछले 3 दिन से बंद था। हैरानी की बात ये है कि नगर निगम के फायर अमले के रिकॉर्ड में ये अग्नि घटना रजिस्टर्ड नहीं हैं। इस संबंध में फायर कर्मी कैलाश झारिया से नवभारत ने जब पूछा तो उनका साफ कहना था कि किसी रद्दी के कागज के गोदाम में आग लगने की सूचना उन्हें नहीं मिली है। लेकिन पीड़ित द्वारा जो अग्नि हादसे की तस्वीर सामने लाईं गईं है उससे तो साफ है कि गोदाम में अग्निकांड हुआ है। सवाल ये खड़ा होता है कि फायर कर्मी अग्निकांड मामलों में कितने गंभीर हैं।

प्रेम मेडिकल हाउस में भी लगी आग

शास्त्री ब्रिज के पास दवा मार्केट में स्थित प्रेम मेडिकल हाउस में बीती देर रात करीब 2 बजकर 20 मिनिट पर अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अमले ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। फायर कर्मी कैलाश झारिया ने नवभारत को बताया कि प्रेम मेडिकल में रखे फ्रिज में शॉर्ट सर्किट हुआ जिस वजह से आग भड़क उठी थी। आग पर समय पर काबू पाया गया जिससे दवा बाजार में अन्य किसी दुकान तक आ नहीं पहुंचीं। वहीं दवा दुकान संचालक के अनुसार आग लगने से उसकी दुकान में रखी लाखों की दवाईयां, इंजेक्शन जलकर खाक हो गए हैं।

बारिश से पहले प्रमुख नालों के किनारों पर किया जाए पौधरोपण

निगमायुक्त ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

नवभारत, जबलपुर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में आयुक्त नगर निगम जबलपुर द्वारा एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीवर विभाग, नाला निर्माण विभाग, लोक कर्म विभाग, उद्यान विभाग, अतिक्रमण विभाग, तालाब संरक्षण प्रकोष्ठ एवं बिल्डिंग परमीशन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा एनजीटी के निर्देशों के अनुरूप जबलपुर शहर के सभी बड़े नालों के दोनों ओर तीन-तीन मीटर चौड़ाई में बफर जोन विकसित कर वृक्षारोपण किए जाने हेतु संबंधित विभागों को विस्तृत सर्वे कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उद्यान विभाग को निर्देशित किया गया कि मानसून पूर्व सभी प्रमुख नालों के किनारों पर वृक्षारोपण की तैयारी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि शहर में गंदगी फैलाने, अवैध सीवेज निपटान, अतिक्रमण एवं जल संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर की नदियों, नालों, तालाबों एवं अन्य जल संरचनाओं को संरक्षित एवं सुरक्षित रखना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

नालों एवं तालाबों के आसपास अतिक्रमणों की जांच होगी

इस दौरान आयुक्त ने बिल्डिंग परमीशन विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मध्यप्रदेश गजट नोटिफिकेशन एवं टीएनसीपी मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार तालाबों एवं नालों से निर्धारित बफर जोन दूरी का पालन सुनिश्चित करते हुए ही भवन निर्माण अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही वर्तमान में नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माणों का सर्वे कर सूची तैयार करने एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं अतिक्रमण विभाग को निर्देशित किया गया कि नालों एवं तालाबों के आसपास किए गए अतिक्रमणों की पुन: जांच की जाए तथा यदि नालों के मध्य या जल निकासी में किसी प्रकार का अवरोध पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त तालाबों के 50 मीटर क्षेत्र के भीतर किए गए अवैध निर्माणों को भी अतिक्रमण मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

झांसीघाट में 65 डंपर रेत जब्त, राजस्व विभाग के अमले की कार्रवाई से हड़कंप

जबलपुर। राजस्व विभाग के अमले ने नीमखेड़ा झांसीघाट में छापेमारी करते हुए अवैध रूप से रखी 65 डंपर रेत जप्त कर ली।

अनुभागीय राजस्व अधिकारी शहपुरा मदन सिंह रघुवंशी से मिली जानकारी के अनुसार रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने राजस्व विभाग के अमले ने शहपुरा तहसील के ग्राम नीमखेड़ा झांसीघाट में कार्रवाई कर अवैध रूप से संग्रहित 65 डंपर रेत जप्त की है।जप्त की गई रेत का उत्खनन और भंडारण वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। उन्होंने बताया कि तहसीलदार राजीव मिश्रा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में नायब तहसीलदार महेश सोलंकी, राजस्व निरीक्षक, पटवारी और राजस्व विभाग का अमला शामिल था।

नर्मदा में बहाई अवैध भंडारित तीन हाइवा रेत

प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में आज रविवार को जबलपुर अनुभाग के गबहोरीपार में नर्मदा नदी किनारे शासकीय भूमि पर अवैध रूप से भंडारित पाई गई लगभग 3 हाईवा रेत को जेसीबी की सहायता से वापस नदी में प्रवाहित कर दिया गया।अनुविभागीय राजस्व अधिकारी जबलपुर अभिषेक सिंह के नेतृत्व में की गई। कार्यवाही के दौरान ग्राम कोटवार, सरपंच एवं पंचगणों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया एवं जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध रेत को नदी में प्रवाहित कर उसका विनिष्टीकरण किया गया। इस कार्यवाही में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी बरगी अंजुल अयक मिश्रा, तहसीलदार प्रदीप तिवारी, थाना प्रभारी बरगी नीलेश दोहरे शामिल थे।

दिनभर चली मार्तंड और मेघों की आंख-मिचौली, मौसम हुआ सुहावना, गर्मी से मिली थोड़ी रात

नवभारत, जबलपुर। शहर में रविवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। पिछले कई दिनों से जारी तीखी धूप और उमस के बाद सुबह से ही आसमान में बादलों ने डेरा डाल लिया। दिनभर मार्तंड और बादलों के बीच आंख-मिचौली का दिलचस्प दौर चलता रहा। कभी धूप खिलती तो कभी घने बादल सूरज को पूरी तरह ढक लेते। सूर्यदेव और बादलों के बीच चली लुका-छिपी से हुए खुशनुमा बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम सुहावना होने के कारण चहल-पहल भी देखी गई।

ऐसा रहा तापमान

रविवार को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 52 और शाम को 33 प्रतिशत दर्ज की गई। उत्तर-पश्चिमी हवाएं 6 से 7 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली।

आंधी चलने की चेतावनी

मौसम विभाग की माने तो आगामी 3-4 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के दक्षिण-पश्चिम एवं दक्षिण-पूर्व अरब सागर के कुछ और भागों, लक्षद्वीप क्षेत्र, केरल एवं तमिलनाडु के कुछ भागों, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य पूर्व-मध्य तथा उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों तथा दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से शहर में आंधी चलने की संभावना है। 40 से 50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है।

कॉम्बिंग गश्त के दौरान पकड़ा गया बदमाश

जबलपुर, नवभारत। अपराधों के रोकथाम हेतु जीआरपी थाना प्रभारी संजीवनी राजपूत के नेतृत्व में कॉम्बिंग गश्त की गई जिसमें वर्ष 2018 से फरार आरोपी सौरभ पटेल 28 वर्ष निवासी भमकी शाहपुर मढ़ई थाना रांझी जबलपुर को गिरफ्तार कर पेश किया गया। इसके अलावा 16 अन्य निगरानी शुदा बदमाशों भी तामिल किए गए।

दानापुर से बेंगलुरु के बीच स्पेशल ट्रेन

जबलपुर, नवभारत। रेलवे प्रशासन ने पटना के दानापुर से बंगलूरू के लिए एक और स्पेशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है। इस ट्रेन का संचालन एक जून से 15 जुलाई तक प्रयागराज छिवकी, सतना, जबलपुर के रास्ते रोजाना किया जाएगा। बता दे कि दानापुर से गाड़ी संख्या 03251 की रवानगी एक जून की दोपहर 3 बजे होगी। रात अगले दिन तड़के 3.30 बजे जबलपुर पहुंचकर 3.40 बजे रवाना होकर इटारसी, नागपुर, बल्हारशाह होते हुए यह ट्रेन तीन जून को दिन में 2:30 बजे बंगलूरू पहुंचेगी।

वही वापसी में ट्रेन संख्या 03252 का संचालन तीन जून से 18 जुलाई तक होगा। बंगलूरू से इसकी रवानगी रात 11:50 बजे होगी। पांच जून की सुबह 9.05 बजे जबलपुर और रात 11:55 बजे ट्रेन दानापुर पहुंच जाएगी। 24 कोच की स्पेशल ट्रेन में स्लीपर के दस, सामान्य श्रेणी के सात, एसी थ्री के तीन, एसी टू के दो और एसएलआर श्रेणी के दो कोच होंगे।

हमसफर एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें हुई बहाल

जबलपुर, नवभारत। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत बिलासपुर जंक्शन-चाँपा जंक्शन रेलखण्ड पर होने वाले अधोसरंचनात्मक निर्माण कार्यों के संदर्भ में पूर्व में संयुक्त कमीशनिंग के तहत जो प्री-नॉन इंटरलॉकिंग, नॉन इंटरलॉकिंग एवं पोस्ट नॉन इंटरलॉकिंग कार्य लिया गया था, उसे अब निरस्त कर दिया गया है।

इसके परिणामस्वरूप, इस अधिसूचना के तहत पश्चिम मध्य रेल से प्रारंभ टर्मिनेट होने वाली सांतरागाछी-रानी कमलापति एवं जबलपुर-सांतरागाछी-जबलपुर हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों को जो पूर्व में एक-एक ट्रिप के लिए निरस्त किया गया था, उन्हें अब निरस्त नहीं किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए इन सभी ट्रेनों की सेवाएं पूरी तरह बहाल रहेंगी।

ट्रेनों का विवरण

1- गाड़ी संख्या 22170 सांतरागाछी जंक्शन-रानी कमलापति हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन अपने प्रारम्भिक स्टेशन सांतरागाछी जंक्शन से 11 जून को निरस्त नहीं होगी और अपनी निर्धारित समय सारणी के अनुसार यथावत चलेगी।

2- गाड़ी संख्या 20828 सांतरागाछी जंक्शन-जबलपुर हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन अपने प्रारम्भिक स्टेशन सांतरागाछी जंक्शन से 10 जून को निरस्त नहीं होगी और अपनी निर्धारित समय सारणी के अनुसार यथावत चलेगी।

3- गाड़ी संख्या 20827 जबलपुर-सांतरागाछी जंक्शन हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन अपने प्रारम्भिक स्टेशन जबलपुर से 11 जून को निरस्त नहीं होगी और अपनी निर्धारित समय सारणी के अनुसार यथावत चलेगी।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57